रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 12 जुलाई, 2004/21 आषाढ़, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जून, 2004

संख्या टी०पी० टी० ए० (3) 2/2002.—प्रारूप संशोधन नियम नामत: हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल्ज (संशोधन) नियम, 2004, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 के उपबन्धों के अनुसरण में समसंख्यक अधिसूचना तारीख 18 मार्च, 2004 द्वारा इनसे सम्भाव्य प्रभावित व्यक्तियों से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 के अधीन यथा अपेक्षित, इनकी प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 24 मार्च, 2004 को प्रकाशित किए गए थे।

2. और सरकार ने, विहित अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों से सम्बन्धित जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर, विचार कर लिया है ।

3. अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान (संशोधन) नियम, 2004 है ।

1064-राजपत्र/2004-12-7-2004—1,535. (1145) मूल्य : 1 रुपया।

2. नियम 69-क का प्रतिस्थापन.—उक्त नियमों के विद्यमान नियम 69-क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"69-क. राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों और अखिल भारतीय अनुज्ञापत्रों के लिए कम्पोजिट फीस .—मालवाहनों (गुडस कैरिजिज) के बारे में जिनका मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (12) के अधीन अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में चलाना प्राधिकृत है और पर्यटन यानों के बारे में, जिन्हें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (9) के अधीन किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान अखिल भारतीय अनुज्ञापत्र के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में चलाना प्राधिकृत है, कम्पोजिट फीस निम्नलिखित दरों पर उद्गृहित, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त की जाएगी, अर्थात् :—

(i) मालवाहनों (गुडस कैरिजिज) जिन्हें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (9) के अधीन राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्र के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में चलाना प्राधिकृत है।	राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र जारी करते समय अग्रिम में संदत्त 5000/- रुपए एक मुश्त में (बहुधुरी यानों के सम्बन्ध में 25 प्रतिशत रिबेट) जिसकी मान्यता माल वाहनों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र जारी करने की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी।
(ii) पर्यटनयानों, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (9) के अधीन अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान अनुज्ञापत्र के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में चलाने के लिए प्राधिकृत है :—	
(क) चालक को अपवर्जित करके बारह यात्रियों से अधिक की बैठने की क्षमता रखने वाले।	25000/- रुपये प्रति त्रै मास।
(ख) चालक को अपवर्जित करके छह यात्रियों से अधिक किन्तु बारह यात्रियों से अनधिक की बैठने की क्षमता रखने वाले।	6000/- रुपये प्रति त्रै मास।
(ग) चालक को अपवर्जित करके छह से अनधिक यात्रियों की बैठने की क्षमता रखने वाले।	600/- रुपये प्रति त्रै मास :

परन्तु जहां कम्पोजिट फीस की उपर्युक्त रकम, खण्ड (II) के उप-खण्ड (क), (ख) और (ग) में वर्णित पर्यटन यानों की दशा में वित्तीय वर्ष के 15 मार्च, 15 जुलाई, 15 दिसम्बर और 15 जनवरी को या पश्चात् असंदत्त रहती है तो प्रतिमास या उसके भाग के लिए एक सौ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रभारित की जायेगी :

परन्तु यह और कि जहां माल वाहनों (गुड्ज कैरिजिज) के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र का नवीकरण देय तारीख तक नहीं किया गया है तो प्रतिमास या उसके भाग के लिए एक सौ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रभारित की जाएगी ।"

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव ।

[*Authoritative English text of Government Notification No. TPT-A* (3) 2/2002, *dated* 21*st June*, 2004 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21*st June*, 2004

No. TPT-A (3) 2/2002.—Whereas the draft amendment rules titled as the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2004 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra ordinary) on 24-3-2004 *vide* notification of even number dated 18-3-2004 in pursuance of the provisions of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988, for inviting objections and suggestions from person likely to be affected thereby as required under section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 within a period of 30 days from the date of publication.

And, whereas the Government has considered the objections/suggestions received from general public on the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of sub-section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Government of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules shall be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2004.

2. *Substitution of rule 69 A .*— For the existing rule 69A of the said rules, the following shall be substituted, namely :—

"*69A. Composite fee for National Permits and for All India Permits* .—There shall be levied, charged and paid to the State Government, a composite fee at the following rates in respect of goods carriages which are authorised to ply in the State of Himachal Pradesh, under a National Permit granted by an appropriate authority of any other State or Union Territory under sub-section (12) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 and in respect of tourist vehicles which are authorised to ply in the State of Himachal Pradesh under All India Permits granted by any State Transport Authority of other State or Union Territory under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988, namely :—

(*i*)	Goods carriages, which are authorised to ply in the State of Himachal Pradesh under National Permits	Rs. 5000/- (25% rebate in respect of multi-axle vehicles) in lump sum to be paid in advance at the time of issue of

granted by an appropriate authority of any other States or Union Territory under sub-section (12) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988.

National Permits, the validity of which shall be one year commencing from the date of issue of the National Permit in respect of goods carriages.

(*ii*) Tourist vehicles, which are authorised to ply in the State of Himachal Pradesh, under a permit granted by any State Transport Authority of other State or Union Territory under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988:

(*a*) having seating capacity to carry more than twelve passengers excluding driver.	Rs. 25,000/- per quarter.
(*b*) having seating capacity to carry more than six passengers but not more than twelve passengers excluding driver.	Rs. 6,000/ per quarter.
(*c*) having seating capacity to carry not more than six passengers excluding the driver.	Rs. 600/- per quarter.

Provided that where the aforesaid amount of composite fee remains unpaid on or after 15th March, 15th July, 15th September and 15th January of the financial year in case of tourist vehicles described in sub-clause (*a*), (*b*) and (*c*) of clause (*ii*), there shall be charged an additional sum of rupees one hundred per month or part thereof:

Provided further that where the National Permit in respect of goods carriages is not renewed on due date there shall be charged an additional sum of rupees one hundred per month or part thereof.".

By order,

Sd/-
Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित